



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122020-224057
CG-DL-E-31122020-224057

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4215]
No. 4215]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4804(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या 85/2020 तारीख 27 अक्तूबर, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 3847(अ) तारीख 27 अक्तूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के खंड (क) में “31 दिसंबर, 2020” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “31 जनवरी, 2021” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 92/2020/फा. सं. 370142/35/2020-टीपीएल]

विपुल अग्रवाल, निदेशक (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 3847(अ) तारीख 27 अक्टूबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 27 अक्टूबर, 2020 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2020

S.O. 4804(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 (3 of 2020), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes, number 85/2020, dated the 27th October, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3847(E), dated 27th October, 2020, namely:-

In the said notification, in clause (a), for the words, figures and letters “the 31st day of December, 2020”, the words, figures and letters “the 31st day of January, 2021” shall be substituted.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 92/2020/F. No. 370142/35/2020-TPL]

VIPUL AGARWAL, Director (Tax Policy and Legislation Division)

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th October, 2020 *vide* number S.O. 3847(E) dated 27th October, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4805(अ).—केंद्रीय सरकार, कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 38) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्यांक का.आ. 3906(अ), तारीख 29 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 88/2020, तारीख 29 अक्टूबर, 2020 को, ऐसी बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित में निर्दिष्ट कार्रवाई पूर्ण करना या उसका अनुपालन, विनिर्दिष्ट करती है,—

(अ) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में,—

(i) 30 मार्च, 2021 उस अवधि की अंतिम तारीख होगी, जिसके दौरान उक्त उपधारा के अधीन यथा विनिर्दिष्ट ऐसी कार्रवाई पूर्ण करने या उसके अनुपालन के लिए, विनिर्दिष्ट अधिनियम में विनिर्दिष्ट, या उसके अधीन विहित या अधिसूचित समय सीमा आती है; और

(ii) 31 मार्च, 2021 वह अंतिम तारीख होगी, जिसको ऐसी कार्रवाई पूर्ण करने या उसके अनुपालन के लिए, समय सीमा बढ़ाई जाएगी :

परंतु जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) है, वहां इस खंड का ऐसा प्रभाव होगा, मानो—

(क) “30 मार्च, 2021” अंकों और शब्द के स्थान पर, “30 जनवरी, 2021” अंक और शब्द रखे गए हों; और